न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न मु. 29/2019

1 भागीरथ पुत्र स्व. लुणाराम जाति ब्राहाम्ण निवासी सारंगसर तहसील बीदासर चूरू
2 दामोदर प्रसाद पुत्र स्व. पुरणाराम जाति ब्राहाम्ण निवासी सारंगसर तह. बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1 चेनाराम पुत्र स्व.उदाराम जाति नायक निवासी सारंगसर तहसील बीदासर चूरू
2 छगनाराम पुत्र गोपीराम जाति नायक निवासी सारंगसर तहसील बीदासर चूरू
3 रामेश्वर पुत्र गोपीराम जाति नायक निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4 पुरखाराम उर्फ पुरणाराम पुत्र स्व. उदाराम जाति नायक निवासी सारंगसर तहसील बीदासर चूरू
5 प्रभूराम पुत्र उदाराम जाति नायक निवासी सारंगसर तहसील बीदासर चूरू
6 फेफाराम पुत्र उदाराम जाति नायक निवासी ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर चूरू
7 भागूराम पुत्र उदाराम जाति नायक निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू
9 उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय बीदासर चूरू
10 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू
11 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (हाल एस.बी. आई) शाखा साण्डवा

प्रतिवादीगण

1 गुलाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट कूकणा निवासी सारंगसर तह. बीदासर चूरू
2 श्रीमती गणेशी पुत्री स्व. भंवराराम पत्नी मिलाराम जाति ब्राहाम्ण निवासी कोलासर तहसील सुजानगढ़ चूरू
3 श्रीमती गीता पत्नी स्व. तोलाराम जाति ब्राहाम्ण निवासीनी सांरगसर तहसील बीदासर चूरू
4 रामदेव पुत्र स्व. तोलाराम जाति ब्राहाम्ण निवासी सांरगसर तहसील बीदासर चूरू
5 सरीता पुत्री स्व. तोलाराम पत्नी श्री नोरतनमल शर्मा मोतीलाल शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी बादेड़ तहसील लाड़नू जिला नागोर
6 लीला पुत्री स्व. तोलाराम पत्नी भगवतीप्रसाद मोतीलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी बादेड़ तहसील लाड़नू जिला नागोर
7 लाली पुत्री स्व. तोलाराम पत्नी कमल किशोर शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी कमलकिशोर जुगलकिशोर शर्मा आदर्श विधा मन्दिर के पास छापर चूरू
8 कविता पुत्री स्व. तोलाराम पत्नी अनील कुमार शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासीनी ग्राम बुलसर बड़ा तहसील सरदारशहर चूरू

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

संगीता पुत्री स्व. तोलाराम जाति ब्राहाम्ण निवासीनी सांरगसर तह. बीदासर चूरू
10 सीताराम पुत्र स्व. लुणाराम जाति ब्राहाम्ण निवासी सांरगसर तहसील बीदासर चूरू
11 बजरंगलाल पुत्र स्व. लुणाराम जाति ब्राहाम्ण निवासी सांरगसर तह. बीदासर चूरू
12 अगरी पुत्री लुणाराम पत्नी स्व. इन्द्रचन्द शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी रताउ तहसील लाड़नू नागौर
13 गीता पुत्री लुणाराम पत्नी आसुलाल शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी बल्दू तहसील लाडनू नागौर
14 गोमती पुत्री लुणाराम पत्नी भागीरथ प्रसाद जाति ब्राहाम्ण निवासी कोलासर तह. सुजानगढ़ चूरू
15 शान्ती पुत्री लुणाराम पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्राहाम्ण निवासी कोलासर तह. सुजानगढ़ चूरू
16 श्रीमती तुलछी पत्नी पुरणाराम जाति ब्राहाम्ण निवासीनी ग्राम सांरगसर तहसील बीदासर चूरू
17 गणेशाराम पुत्र पुरणाराम जाति ब्राहाम्ण निवासी सांरगसर तहसील बीदासर चूरू
18 चुकी पुत्री पुरणाराम पत्नी जेठमल जाति ब्राहाम्ण निवासी बल्दू तहसील लाडनू नागौर
19 रामी पुत्री पुरणाराम पत्नी रामप्रसाद जाति ब्राहाम्ण निवासी बल्दू तहसील लाड़नू नागौर
20 प्रभा पुत्री पुरणाराम पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहाम्ण निवासी झाडेली तहसील जायल नागौर
21 मूली पुत्री पुरणाराम पत्नी औमप्रकाश जाति ब्राहाम्ण निवासीनी छापर तहसील सुजानगढ़ चूरू
22 कौशल्या पुत्री पुरणाराम पत्नी स्व. बजरंगलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी रताउ तह. लाड़नू नागौर
23 श्रीमती कंचन पत्नी स्व. किसनलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी सांरगसर तह. बीदासर चूरू
24 बनवारीलाल पुत्र स्व. किशनलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम सांरगसर तहसील बीदासर चूरू
25 मुकेश पुत्र स्व. किशनलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी सांरगसर तहसील बीदासर चूरू
26 कंचन पुत्री स्व. किशनलाल जाति ब्राहाम्ण निवासीनी ग्राम सांरगसर तहसील बीदासर चूरू

गौण प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 88, 188, 209 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1 वादीगण – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 7 मो. आमीन शेख एडवोकेट
3 गौण प्रतिवादी स. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13 मो. आमीन शेख एडवोकेट
4 प्रतिवादी – पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16 /03/2021

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण 2 ता 26 के पूर्वज भंवराराम, लुणाराम, पुरणाराम पिसरानृ रामचन्द्र ब्राहाम्ण के वक्त के खातेदारी खेत मुताबिक पर्चा सेटलमेन्ट संवत 2028–2047 खेत खसरा नम्बर 310 रकबा 13–05 बीघा, खसरा नम्बर 312 रकबा 38–15 बीघा, खसरा नम्बर 90 रकबा 2–03 बीघा, खसरा नम्बर 120 रकबा 15–10 बीघा, खसरा नम्बर 249 रकबा 14–16 बीघा, खसरा नम्बर 294 रकबा 16–00 बीघा, खसरा नम्बर 324 रकबा 7–03 बीघा, खसरा नम्बर 339 रकबा 4–16 बीघा, खसरा नम्बर 7 रकबा 17–05 बीघा, खसरा नम्बर 13 रकबा 14–13 बीघा, खसरा नम्बर 35 रकबा 8–16 बीघा, खसरा नम्बर 157 रकबा 3–10 बीघा, खसरा नम्बर 191 रकबा 26–19 बीघा 19 बिश्वा, खसरा नम्बर

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

रकबा 2–12 बीघा वाके रोही सारंगसर में है। उपरोक्त खसरो में से खेत खसरा नम्बर 13 रकबा 14–13 बीघा के उतरी तरफ चिपता खेत खसरा नम्बर 11 रकबा 62–16 बीघा बिश्वा **उदा वल्द रूघा कौम नायक साकिन सारंगसर** के खातेदारी का रहा है। इसी खेत खसरा नम्बर 13 के पूर्वी तरफ खेत खसरा नम्बर 12 हेमाराम पुत्र बेगाराम जाट कुकणा का, पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 14 चरागाह जोहड़ तलाई बीनडियों तथा दक्षिणी तरफ खेत खसरा नम्बर 17 धर्मदास पुत्र चतरदास स्वामी का खेत रहा है। वादी एवं गौण प्रतिवादीगण 2 ता 26 के पूर्वजों के वक्त के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् में से खेत खसरा नम्बर 310 के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 312 स्वयं का खेत, उतरी तरफ खेत खसरा नम्बर 307 नोरा पत्नी गणेशाराम आदि जाट का खेत है, दक्षिणी तरफ खेत खसरा नम्बर 311 दुर्गाराम, मालाराम आदि ब्राहाम्णों के वारिसान की खातेदारी का खेत है तथा पश्चिमी तरफ मानीदेवी पत्नी पुरनाराम, पुरनाराम पुत्र धीराराम जाट की खातेदारी भूमि, खसरा नम्बर 309 मनोहरी देवी पत्नी हरजीराम के खातेदारी की खसरा भूमि है। वादीगण एवं गौण प्रतिवादी 2 ता 26 के पूर्वज भंवराराम, लूणाराम, पुरणाराम को सवंत 2038 में घरेलू खर्चो के लिए रकम की आवश्यकता होने पर खातेदार भंवराराम, लूणाराम, पुरणाराम द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 13 के उतरादी तरफ के पड़ौसी खातेदार **उदा वल्द रूघा** से भूमि खरीद करने का प्रस्ताव रखा गया। खसरा नम्बर 11 के खातेदार **उदा वल्द रूघा** से अपने खेत के चिपता उक्त खसरा नम्बर **13** खरीद करने का सौदा खातेदारान् भंवराराम, लूणाराम, पुरणाराम से तय कर लिया तथा दोनो पक्षकारान् विकेतागण भंवराराम, लूणाराम, पुरणाराम व केता उदा वल्द रूघा ने मिति सावण शुक्ता 13 संवत् 2038 दिनांक 13–08–1981 को तहसील सुजानगढ़ में जाकर दस्तावेजं विकय पत्र जिसमें खसरा नम्बर 13 के चारों तरफ के आसे पासे लिखवा कर उप पंजीयक महोदय से पंजीकृत करवा लिया। उक्त खसरा नम्बर 13 के खातेदार विकेतागण भंवराराम, लूणाराम, पुरणाराम ओर खरीददार चारों व्यक्ति ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण दस्तावेज में खसरा नम्बर और रकबा कितना लिखा गया है की कोई जानकारी नहीं रही। तथा उक्त विकय पत्र में वर्णित आसे पासे अनुसार खेत खसरा नमबर 13 खातेदार भंवराराम, लूणाराम, पुरणाराम द्वारा केता उदाराम वल्द रूघाराम नायक को सौप दिया गया एवं केता उदाराम द्वारा इस विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सख्या 73 के आधार पर खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा ली गई। मौके पर खसरा नम्बर 13 का कब्जा दिया गया था इस कारण राजस्व रेकार्ड की गलती का ध्यान पक्षकारान् को नही रहा। केता स्व. उदाराम की मृत्यू के बाद गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर विरासतन इन्तकाल की कार्यवाही कर दी गई तब भी राजस्व कर्मचारीयों द्वारा कभी भी इस विषय मे मौके की जांच नहीं की गई। स्व. उदाराम के वारिसान के नाम उपरोक्त खसरा की खातेदारी दर्ज होने के बाद स्व. उदाराम के वारिसान ने वास्तव में

लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

संकेत खेत खसरा नम्बर 13 के चिपते अपनी पैतृक खातेदारी के खेत खसरानम्बर 11 व खरीद किये गये खेत खसरा नम्बर 13 पर प्रतिवादीगण सख्या 12 व 13 से उपरोक्त दोनो खेतों पर काश्तकारी ऋण प्राप्त कर लिया। जब तक भी गलत रूप से दर्ज किये गये खसरा नम्बर 310 के अंकन की जानकारी वाद के पक्षकारान् को नहीं थी क्योकि स्व. उदाराम के वारिसान द्वारा अपने कब्जे काश्त के खेत खसरा नम्बर 11 व 13 पर ऋण प्राप्त किया था। स्व.उदाराम के वारिसान ने बैंक ऋण का चुकारा नहीं किया तब ऋण वसूली हेतू पटवारी हल्का माह अप्रेल में मौके पर आये वादीगण को कहा की खेत खसरा नम्बर 310 पर प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है जो चुकाया नहीं है और इस खसरा नम्बर 310 से ऋण की वसूली की जायेगी। तब वादीगण को उपरोक्त गलत अंकन की जानकारी हुई। तब वादीगण ने राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त की जो वादीगण को दिनांक 29–4–2019 व दिनांक 23–5–2019 को प्राप्त हुई जिससे दावा अवधि भितर है। दिनांक 11–5–2019 को पटवारी हल्का पुनः मौके पर आये और वादीगण को ऐलानिया धमकीया दी की भले ही प्रतिवादीगण का कब्जा खसरा नम्बर 13 पर हो, भले की प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 11 व 13 पर ऋण प्राप्त किया हो ओर आपका कब्जा खसरा नम्बर 310 तीन सो पर हो तो भी मुझे खसरा नम्बर 310 की भूमि को कुर्क करना पड़ेगा क्योकि राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 13 की भूमि आपके नाम है व खसरा नम्बर 310 की भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। इसके बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त ऋण चुका कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवा लेने का निवेदन किया व इस वक्त ही तहसीलदार महोदय को निवेदन किया लेकिन वादीगण की कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि वादीगण के कब्जा काश्त व अधिकार के खेत खसरा नम्बर 310 को प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त किये गये ऋण पर कुर्क कर लिया जाता है या कब्जे से महरूम कर दिया जाता हे तो वादीगण को अपूर्तीय क्षति होगी क्योकि प्रतिवादीगण द्वारा वास्तव में ऋण खेत खसरा नम्बर 11 व 13 की भूमि पर लिया गया था और उपरोक्त खसरा नम्बर 11 व 13 की भूमि की प्रतिवादीगण के कब्जा अधिकार में है। खसरा नम्बर 11 व 13 में प्रतिवादीगण की पुख्ता पक्की बारहमासी ढ़ाणीयॉ बनी हुई है। प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि उपरोक्त ऋण की अदायगी में वादीगण के खेत को कुर्क कर कब्जा प्राप्त करें। इस कारण वादीगण का प्रथम दृष्टया सारवान मामला बनता है। प्रतिवादीगण सख्या 8 तहसीलदार व प्रतिवादीगण सख्या 9, 10 कभी भी गलत खातेदारी की आड़ में वादीगण के खेत को कुर्क कर उनका कब्जा हटा सकते है इस कारण मामला अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है जो नोटिस से छूट लेकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादीगण बैंक द्वारा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 को उक्त ऋण कब्जे की जांच के बाद खसरा नम्बर 11 व 13 पर स्वीकार किया गया है क्योकि उपरोक्त खसरा की भूमि ही प्रतिवादीगण 1 ता 7 के कब्जे में थी। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस भूमि को वास्तव में गिरवी रखा गया था ऋण वसूली उसी

लगातार 5 पर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

भूमि से होगी। किसी गलत अंकन के आधार पर अन्य पक्ष को उसके मालिकाना हक से वंचित नहीं किया जा सकेगा। प्रतिवादीगण बैंक के पास ऋण वसूली हेतू खसरा नम्बर 11 व 13 की भूमि मौजूद है और उपरोक्त दोनो खसरों की भूमि को ऋण वसूली हेतू कुर्क किया जाता है तो वादीगण को ऐतराज नहीं है आदि आदि।

उपरोक्त दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई कि "घोषित किया जावें कि विक्रय पत्र दिनांक 13–8–1981 के माध्यम से स्व. भंवराराम, लुणाराम, पुरणाराम पि. रामचन्द्र ब्राहाम्ण ने खेत खसरा नम्बर 13 रकबा 14–13 बीघा (3.7053 हैक्टेयर) का विक्रय स्व. उदाराम को किया था ओर यही खेत स्व.उदाराम द्वारा कृय किया गया था उपरोक्त खेत के विक्रय पत्र में खेत के आसे पासे अंकित किये गये है जो प्रतिवादीगण के खेत खसरा नम्बर 11 के दक्षिण और स्थित है इस विक्रय पत्र में खसरा नम्बर 310 रकबा 13–05 बीघा (3.3513 हैक्टेयर) का अंकन लिपिकीय भूल से हुआ है। प्रश्नगत विक्रय पत्र के आधार पर खेत खसरा नम्बर 310 के बारे में राजस्व रेकार्ड में किये गये तमाम इन्द्राजात को दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 13 का अंकन किया जाये। प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावें कि वादगत खेत खसरा नम्बर 310 का विक्रय बन्धक हस्तान्तरण नहीं किया जावें तथा प्रतिवादीगण सख्या 1–7 वादगत खेत खसरा नम्बर 310 में प्रवेश नहीं करें, प्रतिवादीगण 10 व 11 किसी प्रकार से ऋण वसूली कर कार्यवाही अमल में नहीं लावें तथा वादीगण को प्रवेश करने, काश्त करने से रौके नहीं ना ही ऐसा कोई कृत्य या फैल करें जिससे वादीगण के वैध अधिकारों पर किसी प्रकार से विपरीत असर पडे। खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की औरसे इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादी स. 8 सरकार की औरसे पैरोकार राज ने उपस्थित होकर दिनांक 30/01/2020 को राजहित नहीं होने का अंकन किया। गौण प्रतिवादी सख्या 2, 14, 15, 17, 20 व 22 ता 27 के विरूद्ध दिनांक 3/10/2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व गौण प्रतिवादी स. 6, 7, 16, 18, 19, 21 के विरूद्ध दिनांक 30/1/2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई क्योकि उपरोक्त तमाम गौण प्रतिवादीगण प्रयाप्त तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं हूए। प्रकरण में वकील वादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 17/07/2019 को मौका कमिश्नर की नियुक्ति की जाकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। जिसके अनुसरण में वादगत खसराजात की मौका रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत हुई।

उपखण्ड अधिकारी

लगातार 6 पर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त वाद में हालांकी किसी भी पक्ष द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी करते हूए जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी स. 10 पंजाब नेशलन बैंक शाखा सुजानगढ़ व प्रतिवादी स. 11 एस. बी. आई शाखा साण्डवा पक्षकार है जिन्होने भी बावजूद रजिस्ट्रर्ड तामील के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी वाद के तथ्यों को देखते हूए इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से तनकीयात विरचित की गई।

1 आया वादगत खेत खसरा नम्बर 310 रकबा 13–03 बीघा रोही सांरगसर वादीगण के पूर्वजों के नाम रहा जिसके उतरी तरफ चिपता खेत खसरा नम्बर 11 रकबा 14–13 बीघा प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम रहा है। जिम्मे वादी

2 आया वादीगण के पूर्वजों द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 13 प्रतिवादीगण के पूर्वजों को उनके चिपता खसरा नम्बर 11 होने के कारण विक्रय दिनांक 13/8/1981 को किया गया एवं विक्रय पत्र में दर्ज आसे पासें मुताबिक खसरा नम्बर 13 का कब्जा सुपुर्द प्रतिवादीगण किया गया। जिम्मे वादी

3 आया वादगत खेत खसरा नम्बर 310 के राजस्व रेकार्ड में विक्रय पत्र की लिपिकीय त्रुटी के कारण नामान्तरकरण दर्ज किया गया। जिम्मे वादी

4 आया वादगत खेत खसरा नम्बर 13 पर खरीद के वक्त से कब्जा अधिकार प्रतिवादीगण का चला आ रहा है जिसमें पुख्ता पक्की रिहायसी ढ़ाणीयां बनी हुई है सिंचित फसलें काश्त की जाती है। जिम्मे वादी

5 आया प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त किये गये ऋण पर वादगत भूमि खेत को कुर्क कर लिया जाता है तो वादीगण को अपूर्तीय क्षति होगीं। जिम्मे वादी

6 आया प्रतिवादीगण बैंक द्वारा ऋण कब्जा की जांच के बाद खसरा नम्बर 11 व 13 पर स्वीकार किया गया। जिम्मे प्रतिवादी

उपरोक्त तमाम तनकीयात को वादीगण को साबित करना था। वादीगण ने उपरोक्त तनकीयात के समर्थन में साक्ष्य वादी में वादी स. 1 भागीरथ पुत्र लुणाराम के बयान दिनांक 17/7/2020 को लेख बद्ध किये गये। वादी भागीरथ ने अपने शपथ पूर्वक बयानो के दौरान वाद के तथ्यों को दोहराते हूए बयान किये और वादपत्र को साबित किया है। वादी ने अपने साक्ष्य के दौरान बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी संवत 2073–2076 प्रदर्श–1 जो खाता स. 60 बाबत है दुसरी जमाबन्दी संवत 2073–2076 प्रदर्श–2 है जो खेत खाता सख्या 214 से सम्बन्धित है पर्चा सेटलमेन्ट प्रदर्श 3 व 4 है, विक्रय पत्र दिनांकित 13/08/1981 प्रदर्श–5 खेत खसरा नम्बर 13 का नक्शा प्रदर्श–6, नक्शा खसरा नम्बर 310 प्रदर्श–7, इन्तकाल स 73 प्रदर्श–8, इन्तकाल स. 171 प्रदर्श–9, खाता स. 55 की जमाबन्दी प्रदर्श–10, खाता स. 50 की जमाबन्दी प्रदर्श–11, खसरा नम्बर 310 की जमाबन्दी प्रदर्श–12, इसी खसरे की जमाबन्दी प्रदर्श 13, 14, 15, 16 व 17 प्रदर्शित करवा कर दावा डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। इस प्रकरण में

लगातार 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण पक्षकारान् की और से इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत हुआ है इस कारण प्रतिवादी पक्ष की और से दिनांक 17/7/2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादी स. 5 प्रभूराम, प्रतिवादी स. 7 भागूराम ने अपने साक्ष्य बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किये। उक्त दोनो गवाहान के बयान भी वादपत्र के समर्थन में करवाये गये है यानि उक्त दोनो प्रतिवादी साक्ष्य वादी की और से प्रस्तुत हूए है। अन्य प्रतिवादीगण की और से इस वाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही वाद के तथ्यो से अस्वीकार करते हूए किसी प्रकार का जवाब दावा प्रस्तुत हुआ। इस कारण इस पत्रावली को आगामी पेशी पर बहस सुने जाने को नियत किया गया। दिनांक 16/3/2021 को वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों की पुनरावृति करते हूए निवेदन किया कि वादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर वाद के समर्थन में अपने बयान दिये है और प्रतिवादी पक्ष ने भी वादी के समर्थन में इकबाल जवाब प्रस्तुत कर साक्ष्य भी वादीगण के समर्थन में पेश की है। वकील वादी का यह भी निवेदन रहा कि इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा बरामद शुदा तनकीयात को उन्होने साबित किया है और वाद के विपरीत किसी भी पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई ना ही जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी ने न्यायालय का ध्यान मौका रिपोर्ट निरीक्षण दिनांक 11/09/2019 पर आकृष्ट कर निवेदन किया कि मौका निरीक्षण रिपोर्ट वाद के तथ्यों को बखूबी साबित करती है। मौका निरीक्षण के साथ रंगीन फोटोग्राफ जो कमिश्नर महो. द्वारा प्रस्तुत किये गये है जिनके अवलोकन से वादगत खेत पर वादीगण का कब्जा रिहायसी ढ़ाणी स्थिापित होते है। अन्त में वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, साक्ष्य तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत वाद में तनकी स. 1 व 2 विरचित की गई "आया वादगत खेत खसरा नम्बर 310 रकबा 13–03 बीघा रोही सांरगसर वादीगण के पूर्वजों के नाम रहा जिसके उतरी तरफ चिपता खेत खसरा नम्बर 11 रकबा 14–13 बीघा प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम रहा है। जिम्मे वादी

आया वादीगण के पूर्वजों द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 13 प्रतिवादीगण के पूर्वजों को उनके चिपता खसरा नम्बर 11 होने के कारण विक्रय दिनांक 13/8/1981 को किया गया एवं विक्रय पत्र में दर्ज आसे पासें मुताबिक खसरा नम्बर 13 का कब्जा सुपुर्द प्रतिवादीगण किया गया। जिम्मे वादी

उपरोक्त दोनो तनकी एक ही विषय सम्बन्धि होने के कारण दोनो तनकीयात का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 17 के अवलोकन से व वाद में प्रस्तुत साक्ष्य से यह सुस्थिापित होता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 310 रकबा 13–03 बीघा वाके रोही सांरगसर का वादीगण के पूर्वजों के नाम से खातेदारी में चला आ रहा है इस खेत के उतरी तरफ खसरा नम्बर 11 रकबा 14–13 बीघा प्रतिवादीगण के स्वामित्व का है। वाद में यह तथ्य स्थापित किया गया है कि वादीगण के पूर्वजो द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 13 प्रतिवादीगण के पूर्वजों को विक्रय किया गया था यह विक्रय खसरा नम्बर 13, खसरा नम्बर 11 चिपता होने के कारण विक्रय पत्र दिनांकित 13/08/1981के माध्यम से किया गया था और खसरा नम्बर 13

उपखण्ड अधिकारी

लगातार 8 पर

Scanned by CamScanner

का कब्जा भी प्रतिवादीगण के पूर्वजों को सुपुर्द किया गया। इस संबध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र प्रदर्श–5, नक्शा प्रदर्श –6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत विक्रय पत्र में विक्रय शुदा खेत खसरा नम्बर 13 के आसापासा अंकित है और इस बात को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया तथा किसी भी पक्ष द्वारा इन तथ्यों से इन्कार नहीं किया गया। इस कारण तनकी सख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। इस वाद में वादीगण का यह तर्क की वादगत खेत खसरा नम्बर 310 उनके कब्जे व अधिकार का रहा है विक्रय पत्र में उसका अंकन लिपिकीय त्रुटी से हुआ है जबकी प्रतिवादीगण का कब्जा सदामद से खसरा नम्बर 13 पर रहा है इस संबध में न्यायालय द्वारा तनकी सख्या 3, 4 कायम की गई उपरोक्त तनकी एक ही विषय से सम्बन्धित होने के कारण दोनो तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। इस सबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 13/8/1981 व वादगत खेत खसरा न. 13 व 310 नक्शा व इनके आसा पास महत्वपूर्ण दस्तावेज है विक्रय पत्र के अवलोकन से व वादपत्र व वाद में प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट स्थिति है कि प्रश्नगत विक्रय पत्र में ख.न. 13 के आसापासा वर्णित किये गये है और कमिश्नर रिपोर्ट व प्रतिवादी की साक्ष्य से भी यह प्रकट स्थिति है कि प्रतिवादीगण का कब्जा दखल ख.न. 310 पर नहीं होकर ख.न. 13 पर है और खसरा न. 310 की भूमि आज भी वादीगण के कब्जा अधिकार में है वादीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य को किसीप्रकार से खण्डित नहीं किया गया कि प्रश्नगत वाद की तनकी सख्या 3 व 4 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकी स. 1 लगायत 4 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो जाने के पश्चात न्यायालय के समक्ष मुख्य बिन्दु यह है कि जो ख.न. 310 गलती से प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज हो गया और प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी स. 10, 11 से ऋण प्राप्त कर लिया। जबकी उपरोक्त तनकीयात निर्णय से ख.न. 310 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जानी है अतः तनकी सख्या 5 को इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि यदि कोई ऋण प्रतिवादी सख्या 1 ता 7 ने ख. न. 310 की भूमि पर प्रतिवादी सख्या 10, 11 से प्राप्त किया है वह ऋण प्रतिवादी स. 1 ता 7 के स्वामित्व के खेत ख. न. 13 की भूमि पर भारित रहेगा। यदि प्रतिवादी सख्या 1 ता 7 उक्त ऋण को चुकाने में गुरेज करते है तो प्रति स. 10, 11 बैंक को ख.न. 13 की भूमि पर वही अधिकार होगे मानो प्रतिवादीगण की बैंक ने ख. न. 310 की बजाय ख. न. 13 की भूमि पर ऋण प्राप्त किया हो।

आदेश

अतः दावा वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक 13/08/1981 के माध्यम से स्व. भंवराराम, लुणाराम, पूर्णाराम पि. रामचन्द्र जाति ब्राहाम्ण ने अपने स्वामित्व के खेत ख. न. 13 रकबा 14–13 बीघा (3.7053 हैक्टेयर) भूमि का विक्रय स्व. उदाराम नायक को किया था और इसी खेत के आसे पासे विक्रय पत्र में अंकित है तथा इसी ख. न. 13 का कब्जा केता को सम्भलाया गया था इस विक्रय पत्र में ख.न. 310 लिपिकीय भूलवंश अंकित हुआ है। अतः आदेश दिया जाता है कि वर्तमान

लगातार 9 पर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned by CamScanner

ख. न. 310 की खातेदारी में वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण का नाम, हिस्सा वर्तमान खाता न. 60 में अंकितानुसार हिस्सा दर्ज किया जावे व ख. न. 13 की खातेदारी में प्रतिवादी स. 1 ता 7 व बैंक रहन का अंकन वर्तमान खाता न. 214 में अंकित हिस्सानुसार किया जावे। प्रतिवादीगण को ख. न. 310 के सम्बन्ध में चिर निषेधाज्ञा के अनुतोष से वर्जित किया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल नहीं करें तथा यदि कोई ऋण प्रतिवादी स. 1 ता 7 ने ख. न. 310 की भूमि पर प्रतिवादी स. 10, 11 से प्राप्त किया है वह ऋण प्रतिवादी स. 1 ता 7 के स्वामित्व के खेत ख.न. 13 की भूमि पर भारित रहेगा। यदि प्रतिवादी सख्या 1 ता 7 उक्त ऋण को चुकाने में गुरेज करते है तो प्रति स. 10, 11 बैंक को ख.न. 13 की भूमि पर वही अधिकार होगे मानो प्रतिवादीगण की बैंक ने ख. न. 310 की बजाय ख. न. 13 की भूमि पर ऋण प्राप्त किया हो। मामले के तथ्यों परिस्थितियों से खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे। तदनुरूप पर्चा डिक्री जारी हो। सम्बन्धित को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner